उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

विज्ञापन संख्या 03/2013 संस्था प्रधान के अभ्यर्थियों के आफलाइन आवेदनों के आनलाइन संस्करण का सत्यापन एवं अधिमानता विकल्प भरने हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश

- ❖ अवमानना याचिका संख्या–3069/2021 मनीष कुमार त्रिपाठी बनाम कीर्ति गौतम, सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड, प्रयागराज में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2021 एवं 03.12.2021 के अनुपालन में विज्ञापन संख्या–3/2013 संस्था प्रधान के विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया दिनांक 31.01.2022 तक पूर्ण करने की कार्यवाही गतिमान है।
- ❖ प्रश्नगत विज्ञापन में मण्डलवार, वर्गवार (वर्ग–01 बालक इण्टरमीडिएट कालेज, वर्ग–02 बालिका इण्टरमीडिएट कालेज, वर्ग–03 बालक हाईस्कूल, वर्ग–04 बालिका हाईस्कूल) विज्ञापित संस्था प्रधान पदों के सापेक्ष आफलाइन प्राप्त आवेदन–पत्रों को बोर्ड द्वारा आनलाइन किया गया है। अभ्यर्थियों की सूचनायें चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सम्बन्धित अभ्यर्थियों से इसका सत्यापन कराये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है।
- ❖ अभ्यर्थी आनलाइन प्रदर्शित अपने आवेदन की सूचनाओं का भली भांति परीक्षण कर सत्यापन करें तथा यथाआवश्यकता नियमानुसार 03 संस्थाओं की अधिमानता का विकल्प भरें।
- ❖ अभ्यर्थी द्वारा अपने शैक्षणिक सूचना के सम्बन्ध में जो संशोधन किया जाये उसके समर्थन में अभिलेख/प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है, जिसका सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- ❖ सूचनाओं का सत्यापन/अद्यतन करने एवं अधिमानता विकल्प भरने का अवसर केवल 01 बार ही उपलब्ध रहेगा। अतएव कोई भी प्रविष्टि सावधानी से करें। अद्यतन किये गये सूचनाओं को ही अन्तिम मानते हुए अग्रिम कार्यवाही चयनबोर्ड द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन ग्राह्य नही होगा।
- ❖ अभ्यर्थी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उसने संस्था की अधिमानता सूची एवं अपलोड किये गए अभिलेखों का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है।
- ❖ साक्षात्कार के समय अभिलेख–सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को अपनी संस्था अधिमानता सूची और अद्यतन (Update) किये गए अभिलेखों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, तत्पश्चात् ही अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन हो सकेगा।
- ❖ जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन सफलता पूर्वक हो जायेगा वही अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकेंगे।
- ❖ याचिका संख्या–10609/2021 डॉ0 दिलीप कुमार अवस्थी बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2021 के अनुपालन में 62 वर्ष की आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों एवं ज्येष्ठतम अध्यापकों को संस्था प्रधान पद के साक्षात्कार में नही बुलाये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया हैं। अतएव दिनांक 31.01.2022 तक 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुके/कर रहे अभ्यर्थियों को चयन/साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा।
- ❖ अभ्यर्थियों को अभिलेख अद्यतन (Updation) करने, संस्था की अधिमानता भरने अथवा अन्य किसी बिन्दु पर यदि कोई पृच्छा हो तो उसके समाधान हेतु हेल्पलाइन नं0 8468007598 अथवा 0532–2466851 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

01-01-2022